न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 192/2024
दायर दिनांक :– 29.11.2024

अनवान

1. दुर्गालाल पिता उगमा रेगर नि. कोठिया तहसील फुलियाकला

प्रार्थी.....

बनाम

1. बालू पिता कालू रेगर नि. कोठिया तहसील फुलियाकला
2. तहसीलदार/उप पंजीयक फुलियाकलां जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक 21 .08.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम कोठिया पटवार हल्का क्षेत्र कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थी एवं विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व के खतौनी संख्या 813 नया में वर्णित अविभाजित कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या– 1286 रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित खसरा में वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी प्रत्येक का 1/2–1/2 हक स्वामित्व निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अविभाजित आराजी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी होकर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारान बहैसियत मालिक हक अधिकार रखते हैं। उपरोक्त वर्णित खसरान में प्रार्थी/वादी तथा विपक्षी/प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है। और प्रार्थी अपने हक स्वामित्व हिस्से अनुसार कृषि भूमि पर काबिज हो, काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को पैरा संख्या 02 में वर्णित सयुंक्त अविभाजित खसरे के खातेदारी में वर्णित हिस्से मुताबिक विभाजन कराये जाने बाबत कहे जाने पर विपक्षी द्वारा कराने विभाजन साफ तौर पर इन्कार कर दिया जाता है। उपर से विपक्षी संयुक्त स्वामित्व के खसरे का बैचान/हस्तान्तरण करने को बिना विभाजन कराये आमादा रहता है। विपक्षी द्वारा संयुक्त आराजी का मनमकसूद तरीके से प्रार्थी को मौके पर अपने काबिज हिस्से से बेदखल करने का प्रयास करता है। अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी से इस विषय को लेकर विवाद झगडा–फसाद उत्पन्न करता है। विपक्षी धन व ताकत के दम पर प्रार्थी को स्वयं के काबिज हिस्से पर जाने से रोकता है, एवं खसरान पर जबरन निमाज अनाधिकृत प्रवेश घुसपैठ करने का प्रयास करता है। प्रार्थी से विवाद उत्पन्न करता है लडाई झगडा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाडा) राज.

Scanned with OKEN Scanner

करने पर हमेशा उतारू रहता है। इसी कारण से प्रार्थी को संयुक्त खाते के विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, का वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का यह स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई थी। जिससे विपक्षी को इस गैरकानूनी कृत्य संयुक्त आराजी भूभाग में करने से रोका जा सके। आराजी का बिना विभाजन कराये कि विपक्षी संयुक्त निर्माण बैचान/हस्तान्तरण/हस्तगत् अन्यत्र करने को आतूर है, और धन एवं ताकत के दम पर मनमकसूद तरीके से प्रार्थी को मौके पर अपने काबिज हिस्से से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही उक्त अविभाजित खसरान निमणि करने को आमादा है। जिससे प्रार्थी का प्रथम का अन्यत्र कहीं बैचान/हस्तान्तरण करने दृष्ट्या मामला होकर सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। जब प्रथमदृष्ट्या व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है तो उस स्थिति में असहनीय क्षति भी प्रार्थी को होने की पूर्ण सम्भावना है, ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा/स्थगन आदेश जारी किया जाकर श्रीमान अदालत में पहले से विचाराधीन मूल वादपत्र के अंतिम विनिश्चिय होने तक पाबंद कराया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित सयुंक्त अविभाजित खसरा/भूभाग के सम्बन्ध में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद कराना फरमावें कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, न ही भूमि निजाई के हिस्से से बेदखल करे और साथ ही आराजियात का हस्तान्तरण/बिकाव/अन्तरण/हस्तगत् किसी अन्य को न करावे,तदनुसार मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार है। प्रार्थी सहखातेदार होने के कारण उक्त आराजी के विभाजन का अधिकार रखता है। परंतु प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 के साथ विवादित आराजी में हिस्सा निहित है, प्रार्थीगण के हिस्से में विवादित आराजी के कुल क्षेत्रफल 0–2500 हैक्टेयर में से बहुत कम क्षेत्रफल आता है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो नवीन व्यक्तियों को आराजी का कुछ हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विक्रय किये जाने की संभावना है। जिससे प्रार्थी को कुछ असुविधा होगी। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में स्वंय में हिस्से में ऋण लिये जाने में असुविधा होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण किसी एक के पक्ष में नही पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)